

भजनलाल कैबिनेट ने राज्य में औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति बनाई

दो से अधिक संतान वाले पंचायत व नगरपालिका चुनाव लड़ सकेंगे, राजस्व अपराध निदेशालय बनेगा

जयपुर, 25 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने, राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-24 में संशोधन कर राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 लाने का महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। इससे जिन व्यक्तियों के दो से अधिक संतान हैं वे पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के चुनाव लड़ सकेंगे। उन्होंने बताया कि दो से अधिक संतान पर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध उस समय लागू किया गया था, जब जनसंख्या विस्फोट पर प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता थी।

डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि आर्थिक अपराधों पर प्रभावी रोकथाम तथा वित्तीय अनुशासन के लिए राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

समाप्त कर राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का निर्णय मंत्रिमंडल में किया गया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया औद्योगिक विकास को नई गति देने, निवेश को

प्रोत्साहित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने तथा सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, 2026 लाई जाएगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने यह भी

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जयपुर में राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के नए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें राज्य सरकार के 635 करोड़ रूपए खर्च नहीं होंगे, बल्कि संशोधित मॉडल में 10 करोड़ रूपए की शुद्ध आय होगी।

बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में आज संशोधित वित्तीय मॉडल का अनुमोदन किया गया। जिसके अंतर्गत परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5 हजार 815 करोड़ रूपए तथा अनुमानित राजस्व प्राप्ति 5 हजार 825 करोड़ रूपए है। इस संशोधित मॉडल में लगभग 10 करोड़ रूपए की शुद्ध आय भी संभावित है। इसमें अब राज्य सरकार पर पूर्व में अनुमानित 635 करोड़ का वित्तीय दायित्व भी नहीं रहेगा।

पूर्व प्र.मंत्री शेख हसीना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) और अदालतों में चल रहे मामलों के कारण बुरी तरह से टूट चुकी है। हसीना की उम्र 78 वर्ष है और वे और उनका बेटा साजीब वाजेद जाँव, दोनों बांग्लादेश से बाहर रह रहे हैं। और जाहिर है, नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बीएनपी शायद ही अवाामी लीग को राजनीतिक जगह देने के लिए तैयार हो। तो सवाल यह है: हसीना अपनी वापसी की संभावना के संकेत देकर आखिर क्या हासिल करना चाहती हैं?

एक परिणाम साफ नजर आ रहा है। हसीना द्वारा अपनी वापसी के संकेत

■ अतः, शेख हसीना अपने वापस लौटने का संदेश प्रचारित करके क्या हासिल करना चाह रही हैं। एक कयास है कि 78 वर्षीय शेख हसीना खुद को स्थापित करने के बजाय अपने पुत्र साजीब वाजेद जाँव के अमेरिका से लौटने व बांग्लादेश में राजनीतिक नेतृत्व संभालने के लिए जमीन तैयार कर रही हैं।

दिए जाने के बाद, अवाामी लीग के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में ऊर्जा भर गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में पार्टी कार्यालयों के ताले तोड़कर अंदर घुसे हैं। हसीना की वापसी के घोषणा करने

वाले बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि हसीना तुरंत लौटने का इरादा नहीं रखती, लेकिन उनका उद्देश्य अपने बेटे साजीब वाजेद जाँव को अपना राजनैतिक उत्तराधिकारी बनाने

में मदद करना हो सकता है। जाँव ने हसीना सरकार में वर्षों तक आईसीटी सलाहकार के रूप में काम किया था और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, आईटी-आधारित प्रशासन और आधुनिकीकरण को पहल में योगदान दिया था।

उनकी "डिजिटल बांग्लादेश" योजना काफी सराही गई थी, हालांकि उनमें पार्टी राजनीति और संगठनात्मक मामलों के अनुभव की कमी है। जाँव वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। यह संभव है कि वे नए अवाामी लीग नेता के रूप में बांग्लादेश लौट आयें।

झारखंड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गया था। हेमंत सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सोरेन तीन बार इंडी के सामने पेश हुए, लेकिन हर बार उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तब कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गहरी नजर रखी जानी चाहिए।

इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी समन को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय के इसी फैसले को हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। ज्ञातव्य है कि इंडी ने 31 जनवरी, 2024 को हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सोरेन को भूमि घोटाळा मामले में गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया था।

'फर्जी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) 1989 में विश्वविद्यालय ने उन्हें तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। सजा स्वीकार करने के बजाय, जहांगीरी ने धोखाधड़ी का सहारा लिया।

अगले वर्ष उन्होंने फिर से "तारिक जहांगीरी" नाम से परीक्षा दी और उस नामांकन संख्या का उपयोग किया, जो किसी अन्य छात्र, इम्तिाज अहमद को दी गई थी।

भारत द्वारा रूसी ऑयल ...

- वैसे भी समुद्र में ऑयल से भरे टैंकर्स का इस तरह से विचरण करना भी खतरे से खाली नहीं है। कोई दुर्घटना कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है।
- यह स्थिति भारत के लिए अधिक संकट की इसलिए भी है कि ऑयल से भरे टैंकर्स सबसे ज्यादा हिंद महासागर में मंडरा रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर में तीसरे नंबर पर है तथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान व अन्य एशियाई देश, जैसे सिंगापुर भी अपनी खपत का अधिकतम ऑयल आयात ही करते हैं।

हाल ही में इसमें कुछ बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। कच्चा तेल जो पहले भारत आता था, अब उसे सिंगापुर और पूर्वी देशों की ओर मोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, ईरानी तेल टैंकर भी समुद्र में हैं, क्योंकि देश अमेरिका से सीधे हमले का डर महसूस कर रहा है, क्योंकि आपूर्ति

'मैं किसी को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जानकारी दी गई है। यह तर्क दिया गया कि जवाबदेही पर चर्चा महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल न्यायापालिका में भ्रष्टाचार पर विशेष रूप से जोर देना, और राज्य के अन्य अंगों के बारे में वैसी ही चर्चा न करना, एकतरफा धारणा बना सकता है। पीठ के सदस्यों ने यह भी कहा कि सन्दर्भित पाठ्य सामग्री की प्रस्तुति संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं लगती, खासकर उस सिद्धांत के संदर्भ में, जो संविधान की मूल संरचना के तहत न्यायापालिका की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा करता है। बताया गया है कि पाठ्यपुस्तक के

अध्याय में लिखित मामलों की संख्या, न्यायाधीशों की कमी और व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियाँ जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। लेकिन अदालत के हस्तक्षेप से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षणिक सामग्री में संवेदनशील संस्थागत विषयों को सावधानी से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि आलोचनात्मक चर्चा संस्था की गरिमा को ठेस न पहुंचाए।

अब यह मामला संवैधानिक महत्व का बन गया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायापालिका की गरिमा और अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए, खासकर उन मामलों में, जो किशोरों की सोच का निर्माण करती हैं।

ईंडी ने अनिल अंबानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ज्यादा हो गई है। ईंडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबाआई) की एफआईआर के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरसीओएम), अनिल अंबानी और दूसरों के खिलाफ जांच शुरू की थी। ईंडी ने बताया कि आरसीओएम और उसकी पुत्र कंपनियों ने लोन लिया था, जिसमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया है। जांच में पता चला है कि दूसरी एसेट्स के अलावा, पाली हिल प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में मिला दिया गया था, जो अनिल अंबानी के परिवार के सदस्यों का एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट है। ईंडी ने बताया कि ऐसा

इसलिए किया गया, ताकि ऐसा लगे कि अनिल अंबानी इसमें शामिल नहीं हैं। फिलहाल मामले को छानबिन ईंडी की टीम कर रही है।

'केरल तो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) शब्दों का क्या होगा, जो नए "केरलम" के "निवासियों" के लिए इस्तेमाल होते थे। उन्होंने यह भी कहा कि "केरलमाइड" किसी जीवाणु जैसा लगता है और केरलमियन किसी दुर्लभ खनिज जैसा।

इंटरनेशनल फिल्म ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पर्यटन, प्रतिभा विकास, एबीजीसी, रचनात्मक उद्योग और रोजगार सृजन के नए अवसर प्रदान करेगा। फिल्म फेस्टिवल में 125 से अधिक भारतीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही गाला प्रीमियर, मास्टरक्लास, इंडस्ट्री संवाद, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली का अब तक का पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। इस महोत्सव में देश-विदेश के प्रतिष्ठित फिल्मकार, कलाकार, निर्देशक और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। यह महोत्सव

न केवल भारतीय सिनेमा की विविधता और सृजनात्मकता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा, बल्कि दिल्ली को सशक्त फिल्म और सांस्कृतिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

'दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) नामों को फिर से बहाल किया है और दिल्ली का नाम बदलना राजधानी को भारत की प्राचीन धरोहर से फिर से जोड़ने की दिशा में एक कदम होगा।

MARUTI SUZUKI

NEXA

@VITARA
India goes **@lectric**

Introductory BaaS price
₹10.99 LAKH* + Battery EMI
@ ₹3.99/km



INDIA'S LARGEST*
FAST-CHARGING NETWORK

543km
RANGE

BHARAT NCAP
5 STAR SAFETY RATING BNCAP*

NEXA@edge
60% ASSURED
BUYBACK
AFTER 3 YEARS
8 YEARS WARRANTY
BATTERY: 8 YEARS
VEHICLE: 8 (5+3) YEARS
COMPLIMENTARY
HOME CHARGER & INSTALLATION
WORTH ₹ 50,000
COMPLIMENTARY
CHARGING FOR 1 YEAR

SCAN TO CONNECT TO
A SHOWROOM NEAR YOU
E-BOOK TODAY @
WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

* ₹ 10.99 lakh for e-VITARA Delta. Battery EMI: ₹ 3.99/km (subject to financier terms). Taxes and statutory charges are extra. Visit dealership for full T&Cs. | *As certified by Kantar IMRB for an OEM platform for end-to-end usage as on November 28, 2025. | *543 km range: Certified range; actual results may vary by driving conditions and usage. | *ADAS features are for driver assistance only. Driver is responsible for safe and attentive driving. | *Always wear your seatbelt. | *Mentioned ownership plan is for e-VITARA Delta variant. Calculation is done assuming vehicle is running 60 km per day, excluding charging cost. Valid on retail sales for the e-VITARA till 31st March '26, capped at 1000 units of electricity (kWh) per customer or 1 Year from the purchase of the vehicle, whichever is earlier. Assured buyback plan is available on payment basis with the option of 3 years/45,000 km or 4 years/60,000 km ownership plans (whichever is earlier). The program is offered through an Insurance company. e-VITARA comes with standard warranty of 3 years/100,000 km with an option of extending the same on payment basis to 5 years/140,000 km and service activated coverage for 6th to 8th year for EV related components.

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वॉइन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 कोटा कार्यालय: पलायना हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032 फैक्स: 0744-2386033 बीकानेर कार्यालय: कुम्पाना हाऊस, हनुमान हत्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालौर कार्यालय: - जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल परिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय: - जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908